सुरक्षित निर्णय

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल में

आपराधिक संशोधन सं 313/2016

राम सागर

संशोधनवादी

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो

प्रतिवादी

साथ

आपराधिक संशोधन सं 314/2016

राम सागर

संशोधनवादी

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो

प्रतिवादी

संशोधनवादी के अधिवक्ता, श्री नवनीत कौशिक।प्रतिवादी सी. बी. आई. के वकील, श्री संदीप टंडन।

[प्रतिःमाननीय लोकपाल सिंह, न्यायाधीश]

दोनों आपराधिक संशोधन विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई), देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2015 के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके तहत संशोधनवादी के खिलाफ सी.बी.आई. मामला संख्या 04/2014 में धारा 120बी, 420, 477ए के तहत और सी.बी.आई. मामला संख्या 05/2014 में आईपीसी की धारा 120 बी, 420 के तहत आरोप तय किए गए थे, दोनों का शीर्षक सी.बी.आई. बनाम राम सागर है।

2) इससे पहले दोनों आपराधिक संशोधनों को इस न्यायालय ने 15.11.2018 के फैसले और आदेश के तहत सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंज़ूरी देते हुए खारिज कर दिया था। संशोधनवादी पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है।दिनांकित 15.11.2018 के फैसले से

व्यथित महसूस करते हुए, संशोधनवादी ने दो दाण्डिक अपीलीयों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता दी, जिसमें दाण्डिक अपीलीय सं. 2019 का 1763 और दाण्डिक अपीलीय सं 2019 का 1764, दोनों का शीर्षक, राम सागर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 26.11.2019 के आदेश के माध्यम से दोनों अपीलों की अनुमति दी और कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को इस न्यायालय को भेज दिया।

3) दोनों अपीलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश यहां दिया गया है:

अनुमतिदे दी गयी ।

उच्च न्यायालय ने, हमारी सुविचारित राय में, अनुबंध मामले से संबंधित आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों पर विचार नहीं किया है।इसमें मात्र नियुक्तियों और रिकॉर्ड के प्रक्षेप के संबंध में ही चर्चा की गई है।हम यह भी पाते हैं कि दिए गए कारण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, यदि उच्च न्यायालय द्वारा मामले की दोबारा सुनवाई की जाती है तो न्याय के हित की पूर्ति होगी ताकि दोनों पक्षों को अपना-अपना मामला रखने में सक्षम बनाया जा सके।

आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाता है।दोनों आरोपपत्रों में एकत्रित रिकॉर्ड की सामग्री के आधार पर आरोप/मुक्ति के पहलू पर नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है।तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी जाती है।हमें आशा और विश्वास है कि उच्च न्यायालय इस मामले पर यथाशीघ्र निर्णय करेगा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। "

4) योग्यता के आधार पर दोनों संशोधनों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह न्यायालय यह बताना आवश्यक समझता है कि इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिए गए थे कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की कमी के कारण, संशोधनवादी के खिलाफ अभियोजन जारी नहीं रह सकता है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करते समय एक नई दलील दी गई थी कि इस न्यायालय ने दोनों आरोप पत्रों में सामग्री रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर आरोप/मुक्ति के पहलू पर विचार नहीं किया है और संशोधनवादी की ओर से उन्नत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किया है।आपराधिक पुनरीक्षण के आधारों का अवलोकन यह दर्शाता है कि संशोधनवादी ने कोई आधार नहीं उठाया है कि रिकॉर्ड पर कोई प्रथम दृष्टया सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे संशोधनवादी के खिलाफ आरोप तय किए जा सकें।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान से रखते हुए, यह न्यायालय इन आपराधिक संशोधनों पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए बाध्य है।

5) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि संशोधनवादी राम सागर संबंधित समय पर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), मनोरा पीक, नैनीताल के निदेशक थे।श्री डी.एन. भट्ट और अन्य द्वारा दायर ब्ल्यूपीपीआईएल संख्या 07/2012 में पारित इस न्यायालय के दिनांक 16.04.2013 के आदेश पर सीबीआई, देहरादून शाखा में तत्काल मामला दर्ज किया गया था। रिट याचिका में 31 अलग-अलग आरोप लगाए गए थे जिन्हें तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के आधार पर बनाया गया था। नतीजतन, संशोधनवादी सहित तीन नामित व्यक्तियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की खंड 120बी, 409,420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 (2) के साथ 13 (1) (डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

6) जांच के दौरान यह पता चला कि कुल 31 आरोपों में से 29 आरोप या तो गलत थे या निदेशक ए. आर. आई. ई. एस या शासी परिषद ए. आर. आई. ई. एस की ओर से प्रक्रियात्मक खामियां पाए गए। जांच के दौरान केवल दो आरोप आपराधिक प्रकृति के पाए गए।

चूंकि साजिश के दोनों मामले अलग-अलग प्रकृति के हैं और अलग-अलग किए गए हैं, इसलिए संशोधनवादी के विरुद्ध दो अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए गए थे।

7) संशोधनवादी ने पहले निचली अदालत के समक्ष दो आवेदन दायर किए थे, जिसमें दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में मंजूरी के अभाव में प्रारंभिक आधार पर आरोपमुक्त करने की मांग की गई थी।निचली अदालत ने 25.08.2015 को उक्त आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चयन और नियुक्ति करना संशोधनवादी का आधिकारिक कर्तव्य हो सकता है, लेकिन अवैध रूप से नियुक्ति करना और अभिलेखों में प्रक्षेप करना आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता है।यह भी देखा गया कि संशोधनवादी द्वारा किए गए कार्यों को आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्य नहीं कहा जा सकता है।इस प्रकार, संशोधनवादी के विरुद्ध अभियोजन शुरू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। ।दिनांक 25.08.2015 के आदेश को चुनौती देते हुए, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा मुक्ति के आवेदनों को खारिज कर दिया गया था, संशोधनकर्ता ने आपराधिक संशोधन संख्या 319/2015 और 320/2015 को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के समक्ष प्राथमिकता दी।इन्हें नए संशोधनों को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता के साथ 06.10.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया था।

8) चूंकि संशोधनवादी के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 05.12.2015 के आदेश के तहत संशोधनवादी के खिलाफ आरोप तय किए।

05.12.2015 को ट्रायल कोर्ट द्वारा सीबीआई केस नंबर 05/2014 में संशोधनवादी के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए गए थे।

सबसे पहले, कि आपने एआरआईईएस, मनोरा पीक, नैनीताल (उत्तराखंड) में निदेशक के रूप में तैनात और कार्य करते हुए वर्षों के दौरान श्री ओम प्रकाश, इंजीनियर 'सी' एआरआईईएस, प्रोजेक्ट इंजीनियर, मेसर्स सूद एंड सूद, फरीदाबाद के मालिक, श्री देस राज सूद और श्री ए. एल. संधल, मेसर्स टी. आर. एफ. आई. के मुख्य परामर्श अभियंता के साथ आपराधिक साजिश रची। (जमानत सत्यापन के लिए फर्म लगी हुई है) ।आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए सीमेंट स्टील, सामग्री और मजदूरी के भुगतान के लिए दिनांकित 25.05.2010 पत्र/आदेश के माध्यम से एक सूत्र प्राप्त किया गया।भुगतान के लिए आपके द्वारा अपनाया गया सूत्र संपर्क समझौते में निर्धारित सूत्र से अलग है और अनुबंध समझौते और सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए दोनों वर्गों 10CC और 10CA को एक साथ लागू करके भुगतान किया गया था।समय विस्तार के लिए आपराधिक साजिश के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और ओम प्रकाश, परियोजना अभियंता द्वारा भुगतान के संबंध में दिनांक 25.05.2010 को आदेश जारी करने और आपके द्वारा, तत्कालीन निदेशक एरीज़ के रूप में अनुमोदित किया गया था, और यह एरीज़ / भारत सरकार को धोखा देने के लिए किया गया था। मेसर्स सूद एंड सूद और मेसर्स टीआरएफआई (बिल सत्यापन के लिए लगी फर्म) के एक दूसरे ठेकेदार/मालिक के साथ आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए आप सभी ने मेसर्स सूद को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अनुबंध के निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन किया और इस प्रकार सरकार (एरीज़) को 70,81,346/- रुपये की गलत हानि हुई और आप सभी को भी गलत लाभ हुआ।इस प्रकार आपने आईपीसी की धारा 120बी आर/डब्ल्यू 420 आईपीसी और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (डी) के तहत इस न्यायालय के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

दूसरी बात यह कि आपने उपरोक्त समय, स्थान और तरीके से बेईमानी और धोखाधड़ी से एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए एक गलत फार्मूला अपनाकर सरकार (ए. आर. आई. ई. एस.) को 70,81,346/- रुपये की गलत हानि पहुंचाई, जिसके तहत दोनों अनुबंध

समझौते और सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके 10CC और 10CA की श्रेणी को एक साथ अपनाया गया था, जिसका खंड 32.9 स्पष्ट रूप से कहता है कि एक अनुबंध में जहां खंड 10CC लागू है, 10CA चालू नहीं है और सूचकांक भी निर्धारित तिथि पर समाप्त नहीं किए गए थे और एस्केलेशन की गणना करते समय काम पूरा करने और ठेकेदार को 70,81,346/- रुपये का अतिरिक्त भुगतान गलत तरीके से दोनों खंड 10सीए और 10सीसी को लागू करके किया गया था और इस प्रकार आपने आईपीसी की धारा 420 के तहत और इस न्यायालय के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

तीसरा, कि आपने उक्त अवधि, स्थान और तरीके से अनुबंधित फर्म को अनुबंध कार्य के भुगतान में धोखाधड़ी या बेईमानी से गलत लाभ के रूप में 70,81,346/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया और इस प्रकार धोखा दिया।इस प्रकार लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आपने इस न्यायालय के संज्ञान में पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) आर 13 (1) (डी) के तहत दंडनीय अपराध किया है ।

9) निचली विचारण न्यायालय द्वारा 05.12.2015 पर संशोधनवादी के विरुद्ध सीबीआई मामले संख्या 04/2014 में निम्नलिखित आरोप तय किए गए थे:

सबसे पहले, कि आपने ए. आर. आई. ई. एस., मनोरा पीक, नैनीताल (उत्तराखंड) में निदेशक के रूप में तैनात और कार्य करते हुए श्री ओम प्रकाश के साथ आपराधिक साजिश रची और आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए आपने ए. आर. आई. ई. एस., मनोरा पीक, नैनीताल में इंजीनियर 'बी' सिविल के विज्ञापित पद के बजाय इंजीनियर 'सी' सिविल के रूप में ओम प्रकाश को नियुक्त किया। ओम प्रकाश ने विज्ञापित से अधिक उच्च पद के लिए आवेदन किया और इस प्रकार अन्य संभावित उम्मीदवारों को वंचित कर दिया, जो आवेदन कर सकते थे, यदि पद को इंजीनियर 'सी' के रूप में विज्ञापित किया गया था और उन इच्छुक उम्मीदवारों को भी धोखा दिया जिन्होंने इंजीनियर 'बी' के पद के लिए पुनः विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन किया था।इस प्रकार आपने श्री ओम प्रकाश के साथ साजिश करके सरकारी अभिलेखों में गड़बड़ी की, श्री ओम प्रकाश का चयन और नियुक्ति करके चयन समिति के सदस्यों और अन्य इच्छुक उम्मीदवारों को भी धोखा दिया और इस प्रकार आपने आईपीसी की धारा 120बी, 420, और 477ए और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) और 13 (1) (डी) के तहत इस न्यायालय के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है।

दूसरे, कि आपने उपरोक्त समय, स्थान और तरीके में बेईमानी और धोखाधड़ी से इंजीनियर 'बी' के विज्ञापित पद के बजाय इंजीनियर 'सी' के पद पर श्री ओम प्रकाश को नियुक्ति की और आधिकारिक रिकॉर्ड में गड़बड़ी करके अन्य संभावित इच्छुक उम्मीदवारों को वंचित कर दिया और चयन समिति के सदस्यों को भी धोखा दिया और इस प्रकार आपने इस न्यायालय के संज्ञान में आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

तीसरा, कि आपने उपरोक्त समय, स्थान और तरीके से बेईमानी और धोखाधड़ी से आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर किया और श्रीमान ओम प्रकाश के पक्ष में गुप्त उद्देश्य के साथ इंजीनियर 'सी' सिविल की नियुक्ति में पद के स्थान पर इंजीनियर 'बी' के रूप में विज्ञापित किया

और धोखाधड़ी के उद्देश्य से आधिकारिक रिकॉर्ड को धोखाधड़ी से बदल दिया और इस तरह आपने आईपीसी की धारा 477 ए के तहत और इस न्यायालय के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

चौथा यह कि आपने उपरोक्त अवधि, स्थान और ढंग से धोखे से या बेईमानी से इंजीनियर 'सी' की नियुक्ति में पद के स्थान पर इंजीनियर 'बी' की नियुक्ति में लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए अपने के लिए सरकारी अभिलेखों में हेरा-फेरी की।इस प्रकार लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और इस प्रकार आपने इस न्यायालय के संज्ञान में पीसी अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) तथा धारा 13 (1) (डी) के तहत दंडनीय अपराध किया।

10) पक्षों के विद्वान वकील को सुना और पूरे अभिलेख का अवलोकन किया।

11) संशोधनवादी के विद्वान वकील का तर्क होगा कि जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) और धारा 13 (1) (डी) के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, संशोधनवादी उस भाग को चुनौती नहीं दे रहा है।

हालाँकि, संशोधनवादी के विद्वान वकील का कहना था कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में संशोधनवादी पर मुकदमा चलाने के लिए विभाग से मंजूरी नहीं ली थी, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत आवश्यक है, इसलिए आईपीसी के तहत आरोपों के संबंध में मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है।

12) यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर सामग्री के आधार पर आरोप/निर्वहन तैयार करने के पहलू पर विचार करने के लिए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है, यद्यपि न तो आपराधिक संशोधनों के ज्ञापन में कोई आधार उठाया गया है और न ही संशोधनवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है।संशोधनवादी के विद्वान वकील ने अपने तर्क को सीमित कर दिया है कि पंजाब राज्य बनाम लाभ सिंह, (2014) 16 एससीसी 807 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सीबीआई द्वारा अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई है, इसलिये दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में संशोधनवादी के खिलाफ आरोप तय नहीं किया जाना चाहिए था।

13) सी. बी. आई. विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पूरी सामग्री को पी. आई. एल. अदालत के समक्ष लाया गया था और अपराधों की गंभीरता पर विचार करने के बाद, पी. आई. एल. का निपटारा सी. बी. आई. को संशोधनवादी के विरुद्ध एफ.आई. आर. करने के निर्देश के साथ किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, संशोधनवादी के विरुद्ध एफ. आई. आर. की गई थी।

14) सी. बी. आई. के विद्वान वकील ने पुलिस निरीक्षक और अन्य बनाम बत्तेनापटला वेंकट रत्नम और अन्य (2015) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया है।

13 एससीसी 87उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 10 और 11 यहां दिए गए हैं:

"10. वास्तव में, लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण या कष्टप्रद अभियोजन से बचाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत एक विशेष श्रेणी के रूप में माना गया है।उत्पीड़न से इस तरह की सुरक्षा जनहित में दी जाती है; इसे भ्रष्ट अधिकारियों की सुरक्षा के लिए ढाल के रूप में नहीं माना जा सकता है।सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह, (2012) 3 एस. सी. सी. 64, पैरा 74 में यह अभिनिर्धारित किया गया

है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 संबंधित प्रावधानों का इस तरह अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि ईमानदारी, न्यायाधीश और सुशासन के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।उद्धृत करने के लिएः

"74. ...... लोक सेवकों को कथित सुरक्षा का आनंद लेने वाले व्यक्तियों के विशेष वर्ग के रूप में माना जाता है ताकि वे बिना किसी डर और पक्षपात के और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन की धमकी के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।हालाँकि, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के खिलाफ उक्त सुरक्षा, जिसे जनहित में बढ़ाया गया था, भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा के लिए ढाल नहीं बन सकती है।ये प्रावधान अनुच्छेद 14 के समानता प्रावधान के अपवाद होने के कारण सुरक्षात्मक भेदभाव के प्रावधानों के समान हैं और इन संरक्षणों को बहुत संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।मंजूरी से संबंधित इन प्रक्रियात्मक प्रावधानों को इस तरह से समझा जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार में वृद्धि के विपरीत ईमानदारी और न्याय और सुशासन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। "

11. धोखाधड़ी, अभिलेखों की हेराफेरी या हेराफेरी में अधिकारी की कथित संलिप्तता को उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कहा जा सकता है।उनका आधिकारिक कर्तव्य अभिलेखों को गढ़ना या शुल्क के भुगतान की चोरी और राजस्व को नुकसान की अनुमति देना नहीं है।दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय इन महत्वपूर्ण पहलुओं से चूक गया।विद्वान मजिस्ट्रेट ने सही विचार रखा है कि यदि मंजूरी के उक्त दृष्टिकोण का अर्थ लगाया जाना है, तो यह केवल परीक्षण के चरण में ही किया जा सकता है। "

15) सी. बी. आई. के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि चूंकि किसी भी व्यक्ति या विभाग द्वारा संशोधनवादी के विरुद्ध एफ़. आई. आर. नहीं की गई थी, इसलिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

सी. बी. आई. द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र में विशेष रूप से कहा गया है कि आरोप तय करने के पश्चात अभियोजन पक्ष के कुल 14 गवाहों में से 05 गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।

1.6) माना जाता है कि, एफआईआर रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 07/2012, दिनांक 16.04.2013 में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत दर्ज की गई थी जिसके तहत, सीबीआई को डब्ल्यूपीपीआईएल में लगाए गए आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने और उक्त एफआईआर के आधार पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार, जब एफआईआर स्वयं पीआईएल कोर्ट के निर्देशों के तहत दर्ज की गई थी, तो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी। इसलिए, संशोधनवादी के विद्वान वकील का तर्क है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी संशोधनवादी पर मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य थी, यह गलत धारणा है।यह सामान्य बात है कि जब किसी व्यक्ति या विभाग द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब अदालत के आदेश के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, तो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

17) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (उपरोक्त) में दिए गए निर्देशों को पढ़ने के बाद, लाभ सिंह के मामले में निर्धारित अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।बल्कि बत्तेनापटला वेंकट रत्नम के मामले में निर्धारित अनुपात वर्तमान मामले के संदर्भ में पूरी तरह से लागू होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी के मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए निर्णय (सुप्रा) दिए गए, जिसमें यह माना गया है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत प्रदान की गई मंजूरी की सुरक्षा का प्रक्रियात्मक प्रावधान है।इसलिए, मंजूरी से संबंधित प्रक्रियात्मक प्रावधानों को इस तरह से समझा जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार में वृद्धि के विपरीत ईमानदारी और न्याय और सुशासन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

18) यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय (ऊपर) में की गई टिप्पणियों के अनुरूप है कि तकनीकीताओं को न्याय प्रदान करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए।सुब्रमण्यम स्वामी (ऊपर) और बत्तेनापटला वेंकट रत्नम (ऊपर) में निर्धारित निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के संदर्भ में पूरी तरह से लागू होता है।इस प्रकार, यह माना जाता है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संशोधनवादी पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है।

19) यहाँ दोहराने की कीमत पर यह उल्लेख करना उचित है कि यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को अनुबंध मामले से संबंधित आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के संबंध में मामले की फिर से सुनवाई करने और दोनों आरोप पत्रों में एकत्र की गई सामग्री के आधार पर आरोप/निर्वहन के पहलू पर नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संशोधनवादी ने इस न्यायालय के समक्ष कोई याचिका नहीं उठाई है कि नीचे की अदालत ने संशोधनवादी के विरुद्ध कोई सबूत दिए बिना आरोप तय किए हैं, इसलिए, संशोधनवादी को आरोप से मुक्त किया जा सकता है।हालाँकि, माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय फिर से योग्यता के आधार पर आरोप/मुक्ति के पहलू पर मामले का फैसला कर रहा है।

20) मामला नं. 2014 का 04 में भा.दं.सं. सी. की धारा 120बी, 420,477ए के तहत और मामला नं. 2014 का 05 में भा.दं.सं. सी. की धारा 120बी, 420 के तहत संशोधनवादी के विरुद्ध नीचे दी गई अदालत द्वारा बनाए गए आरोपों को देखने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर, इस न्यायालय का विचार है कि स्वयं के अपराधों के संबंध में आरोप अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर बनाए गए हैं और यह न्यायालय आश्वस्त है कि प्रथमदृष्टया स्वयं के अपराधों के संबंध में आरोप संशोधनवादी के विरुद्ध बनाए गए हैं।अभिलेख पर लाई गई सामग्री के अवलोकन से यह पता चलता है कि अभिलेख पर पर्याप्त सबूत हैं कि ए. आर. आई. ई. एस. के निदेशक के पद पर रहते हुए संशोधनवादी ने सी. पी. डब्ल्यू. डी. नियमावली के निर्धारित अनुबंध समझौते का उल्लंघन करते हुए गलत सूत्र अपनाया है, जिससे ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान किया गया है, इसके अलावा सरकारी अभिलेखों में अंतर्वेशन करके और चयन समिति के सदस्यों को धोखा देकर विज्ञापन किए गए पद के बजाय अपनी पसंद के उम्मीदवार को उच्च पद पर नियुक्त किया गया है, जिसने धोखाधड़ी के उद्देश्य से सरकारी अभिलेखों में धोखाधड़ी की है, जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से उसे गलत लाभ हुआ है और सरकार को नुकसान हुआ है।संशोधनवादी की ओर से किए गए कपटपूर्ण और बेईमान कृत्यों को किसी भी तरह से उसके आधिकारिक कर्तव्यों/कार्यों के निर्वहन के दौरान किया गया नहीं कहा जा सकता है, इसलिये सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सुरक्षा संशोधनवादी पर बिल्कुल भी लागू नहीं है।

21) भा.दं.सं. सी. की धारा 120बी, 420,477ए के तहत सी.बी.आई. मामला नं. 04/2014 में और भा.दं.सं. सी. की धारा 120बी, 420 के तहत सी.बी.आई. मामला नं. 05/2014 में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर संशोधनवादी के विरुद्ध आरोप तैयार किया गया था।

यह दोहराया गया है कि संशोधनवादी ने आपराधिक संशोधनों में कोई आधार नहीं उठाया है कि रिकॉर्ड पर उसके खिलाफ कोई सबूत न होने पर आरोप तय किए गए हैं।जहां तक संशोधनवादी को आरोपमुक्त करने का सवाल है, संशोधनवादी ने पहले इस अदालत के समक्ष ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 के खिलाफ दो संशोधन दायर किए थे, जिसमें उसके आरोपमुक्त करने के आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।दोनों आपराधिक संशोधनों को इस न्यायालय द्वारा नए संशोधनों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ 06.10.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया गया था।न तो संशोधनवादी ने प्रार्थना की है कि उसे उसके विरुद्ध बनाए गए आरोपों के संबंध में आरोपमुक्त किया जाए, न ही कोई तर्क दिया गया है कि वह आरोपमुक्त होने के लिए उत्तरदायी है।

22) रघुबीर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, (1986) 4 एससीसी 481 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय लिया है:

"14. श्री जेठमलानी ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि धारा 165-ए के अलावा आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी भी अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। हम इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं।यह संविधान की खंड 32 के तहत याचिका में हमारे द्वारा जांच का विषय नहीं है।हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह अदालत खुद को मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायाधीश की अदालत में तब्दील नहीं कर सकती है, जो इस बात पर विचार करेगी कि आरोप तय करने को सही ठहराने के लिए सबूत हैं या नहीं। "

23) पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण करने पर विचार करने और अभिलेख पर लाई गई सामग्री के अवलोकन के पश्चात इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि नीचे दिए विद्वान विद्वान न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद सी.बी.आई. मामला संख्या 04/2014 में आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 477 ए के तहत और सी.बी.आई. मामला संख्या 05/2014 में आईपीसी की धारा 120 बी, 420 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में संशोधनवादी के खिलाफ ठीक आरोप तय किए हैं।

इस प्रकार, मेरा मानना है कि निचली अदालत ने संशोधनवादी के खिलाफ आरोप तय करने में कोई अवैधता नहीं की है।

24) दोनों आपराधिक पुनरीक्षण योग्यता से रहित हैं।तदनुसार, उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

(लोक पाल सिंह, न्यायाधीश)

दिनांक 25 जनवरी, 2021।नेगी